

R.B.Estt. No. 89/2011

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

NO.E(NG)I-2003/PM1/37

New Delhi, dated 13-06-2011

The General Managers (P)
All Indian Railways & PUs.
(As per standard list)

**Sub : Procedure for conducting selections for promotion to posts
classified as 'Selection' – Custody of answer books.**

Please refer to Board's letter of even number dated 23.03.2004 & 08.06.2010 on the above subject vide which instructions for coding and decoding of roll numbers after the completion of written test and safe custody of answer books after the evaluation is over as well as selection proceedings have been finalized, have been issued. However, the Central Vigilance Commission has brought to the notice of the Board that instructions indicated above are not being followed by some of the Railways and that there is delay in handing over the coded answer sheets to the concerned evaluating officer nominated for this purpose.

2. The matter has since been considered and it is desired that Board's instructions, as laid down in the above mentioned letters, in this regard should be scrupulously followed, without any deviation.

Please acknowledge receipt.


09/6/11
(Kajal Mukherjee)
Dy. Director Estt.(NG)I
Railway Board.

आरबी ई सं. 89/2011

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई (एनजी)I/2003/पीएम 1/37

नई दिल्ली, दिनांक: 13.06.2011

महाप्रबंधक (कार्मिक),
सभी भारतीय रेलें एवं
उत्पादन इकाइयां।
(मानक सूची के अनुसार)

विषय: 'प्रवरण' के रूप में वर्गीकृत पदों पर पदोन्नति करने के लिए 'चयन' की प्रक्रिया - उत्तर पुस्तिकाओं की अभिरक्षा।

कृपया उपर्युक्त विषय पर बोर्ड के दिनांक 23.03.2004 तथा 08.06.2010 के समसंख्यक पत्रों का अवलोकन करें जिनके तहत लिखित परीक्षा पूरी हो जाने के पश्चात् रोल नम्बरों की कोडिंग और डीकोडिंग करने और मूल्यांकन होने के पश्चात् उत्तर पुस्तिकाओं की सुरक्षित अभिरक्षा के साथ-साथ चयन कार्यवाही को अंतिम रूप दिए जाने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं। बहरहाल, केन्द्रीय स्तर्कता आयोग द्वारा बोर्ड के नोटिस में यह लाया गया है कि कुछ रेलों द्वारा ऊपर दिए गए अनुदेशों का पालन नहीं किया जा रहा है और इस प्रयोजन के लिए नामित संबंधित मूल्यांकन अधिकारी को कोड की नई उत्तर पुस्तिकाओं को सौंपने में विलंब होता है।

2. अब इस मामले पर विचार किया गया है और इस बारे में यह वांछित है कि ऊपर उल्लिखित पत्रों में यथा निर्धारित बोर्ड के अनुदेशों का बिना किसी परिवर्तन के सावधानीपूर्वक पालन किया जाए।

कृपया पावती दें।

काजल

(काजल मुखर्जी)

उप निदेशक, स्थापना (एनजी)I

रेलवे बोर्ड

सं. ई (एनजी)I/2003/पीएम 1/37

नई दिल्ली, दिनांक: 13.06.2011

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. महासचिव, ऑल इंडियन रेलवेमैन फेडरेशन, कमरा नं. 253, रेल भवन, नई दिल्ली (35 प्रतियां)।